प्रेषक,

गिरीश चन्द्र
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊः: दिनांक 14 जनवरी, 2016**

विषयः-जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व परिषद के पत्र संख्या- जी-206/12(भवन)-14/2013, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-391/एक-5-2014-64/2013 टी0सी0, दिनांक 04 मार्च, 2014 के द्वारा मानकीकृत लागत रू0 340.26 लाख के आधार पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त/स्वीकृत किये जाने के अनुक्रम में उक्त कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये गये कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण भी किया जाय।

(3) स्वीकृति धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश में दिये गये दिशानिर्देशों तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-21-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव।

संख्या-1359(1)/एक-5-2015-64/2013टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- जिलाधिकारी, बरेली।
6- प्रबंध निदेशक, पैकफेड/संबंधित परियोजना प्रबंधक।
7- राजस्व अनुभाग-6
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in